

राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान

(द्वितीय तल, विकास खण्ड, सचिवालय, जयपुर)

(Email- secraj@rajasthan.gov.in एवं Ph. 0141-2227280, 2227072, 2227407)

क्रमांक: एफ. 7(2)(9)/पंचा/रानिआ/2025/3652

दिनांक: 03.09.2025

जिला निर्वाचन अधिकारी,
(कलक्टर) श्रीगंगानगर।

विषय :- जिला परिषद श्रीगंगानगर के जिला प्रमुख के रिक्त पद के उपचुनाव के संबंध में।

संदर्भ:- आयोग का पत्रांक 2046 दिनांक 10.06.2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के माध्यम से जिला परिषद श्रीगंगानगर के जिला प्रमुख के रिक्त पद हेतु दिनांक 10.06.2025 को नियत उपचुनाव को माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर द्वारा एस.बी.सिविल रिट याचिका संख्या 11738/2025 उनवान श्रीमती शांति बनाम स्टेट एवं अन्य में पारित स्थगन आदेश दिनांक 10.06.2025 की अनुपालना में आगामी आदेशों तक स्थगित करते हुए नाम निर्देशन पत्र (यदि प्राप्त हुए हो तो) को सुरक्षित अभिरक्षा में रखे जाने हेतु निर्देशित किया गया था।

प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय, जोधपुर ने आदेश दिनांक 27.08.2025 द्वारा उक्त याचिका को "Infructuous" होने के कारण खारिज कर दिया है।

अतः प्रकरण में जिला प्रमुख के उपचुनाव को स्थगित किए जाने से पूर्व की स्थिति से ही उपचुनाव की अग्रिम कार्यवाही करने हेतु दिनांक 11.09.2025 निर्धारित की जाती है।

अतः उक्तानुसार कार्यवाही संपन्न किया जाना सुनिश्चित करावें।

आज्ञा से,



(नलिनी कठोतिया)
मुख्य निर्वाचन अधिकारी
एवं सचिव

दिनांक: 03.09.2025

क्रमांक: एफ. 7(2)(9)/पंचा/रानिआ/2025/3653-60

1. सचिव, माननीय राज्यपाल महोदय, राजस्थान।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री जी, राजस्थान सरकार।
3. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार।
4. शासन सचिव एवं आयुक्त, पंचायतीराज विभाग, राजस्थान सरकार।
5. समस्त मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल।
6. अतिरिक्त निजी सचिव, आयुक्त, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
7. एनालिस्ट-कम प्रोग्रामर, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।
8. सांख्यिकी शाखा, राज्य निर्वाचन आयोग, राजस्थान, जयपुर।



(अम्बा लाल मीणा)
उप सचिव